<u>प्रवेश सूचना</u>

अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र **2025-26** हेतु पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कानपुर कैंट (प्रथम पाली) में कक्षा **2,3,4,6,7** और **8** की कक्षाओं में अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पर्याप्त आवेदन नहीं प्राप्त होने के कारण पुनः ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है| आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए विद्यालय वेबसाइट https://kanpurcantt.kvs.ac.in/ देखें| पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों के साथ दिनांक **28/04/2025** से **05/05/2025** तक विद्यालय में प्रात: **9:00** बजे से मध्याह्न **12:00** बजे तक जमा किये जा सकते हैं |

अनुसूचित जनजाति की संभावित रिक्तियाँ		
क्रम संख्या	कक्षा	रिक्तियाँ
1.	II	1
2.	III	1
3.	IV	1
4.	VI	1
5.	VII	2
6.	VIII	1

उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है |

<u>प्रवेश के लिए पात्र आयु</u>

कक्षा	जिस वर्ष में प्रवेश माँगा जा रहा है उस वर्ष की **31** मार्च को बच्चे की न्यूनतम/अधिकतम आयु
II	7 वर्ष लेकिन 09 वर्ष की आयु से कम
III	8 वर्ष लेकिन 10 वर्ष की आयु से कम
IV	9 वर्ष लेकिन 11 वर्ष की आयु से कम
VI	10 वर्ष लेकिन 12 वर्ष की आयु से कम
VII	11 वर्ष लेकिन 13 वर्ष की आयु से कम
VIII	12 वर्ष लेकिन 14 वर्ष की आयु से कम

प्रवेश में प्राथमिकताएँ

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा:

1. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व-सैनिकों के बच्चे।

2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

4. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

5. अन्य किसी भी श्रेणी के बच्चे, अर्थात, वे सभी जो ऊपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 4 में शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी **:-** प्रवेश में बच्चों को प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

टिप्पणी**:**

(i) पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) अपूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र सामान्यतः अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।

(iii) गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर पाए गए प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) दो पालियों में संचालित केन्द्रीय विद्यालय को प्रवेश के दृष्टिकोण से दो अलग-अलग विद्यालय माना जाएगा। पाली में परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि किसी विद्यालय की एक ही कक्षा में किसी बच्चे के प्रवेश के लिए एक से अधिक पंजीकरण/आवेदन किए जाते है तो उनमें से प्राप्त अंतिम पंजीकरण/आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।